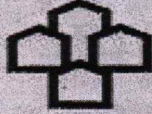


IS 15700:2005



संशोधन प्रणालि

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016



पत्र सं- 1664 / वा0नि0-5 / मि 0510-2013/11

दिनांक- 04/10/13

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

मैसर्स आशियाना इन्फ्राप्रोटेक्टर्स प्रा0लि0
सी-3/75, कंचन टायर विमूक्ति खण्ड
लखनऊ।

विषय- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/जी0एच0-02 वृन्दावन योजना लखनऊ में मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/जी0एच0-02 वृन्दावन योजना लखनऊ हेतु निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. स्वीकृत निर्माण स्थल पर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/जी0एच0-02 वृन्दावन योजना लखनऊ की कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 04/10/13 से 03/10/18 तक।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्ध सनयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 16923.23 वर्गमी0 (डबल बेसमेंट +स्टिस्ट+09) तलों में से 5772.54 वर्ग मी0 (डबल बेसमेंट+स्टिस्ट फ्लोर) तलों हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 3663.20 वर्गमी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेंट फ्लोर एवं स्टिस्ट फ्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आंगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल डबल बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।
6. डबल बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के परयात) शेष निर्माण 11150.74 वर्गमी0 की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति राशम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलंगन है।)
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-तृतीय, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-तृतीय, व सहायक आवास आयुक्त वृन्दावन योजना, लखनऊ द्वारा स्थल पर निर्माण इस दशा में अनुमत्य किया जायेगा, जबकि संबंधित द्वारा प्ररगत भूमि हेतु परिषद को देय समस्त भुगतान का निर्धारित समयानुसार अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
8. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक-प-1858/एफ0एस0-13 लखनऊ दिनांक 08-08-2013 द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है एवं भवन के निर्माण के परयात तथा उपयोग से पूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्टले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
10. आवंटी द्वारा सलंगन प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंगन करना होगा। समयावधि तत्पश्चात निर्माण कार्य यथामानक सहै पाये जान पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
11. मैसर्स आशियाना इन्फ्राप्रोटेक्टर्स प्रा0लि0 द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सागरी अन्वार करने की दशा में यह मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि व्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमाकरेगा।
12. कम से कम 200 30मी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. भूकम्परोधी शासनादेश सं0 570-9-आ-12001 (भूकम्परोधी /2001/(आ0शा0) दिनांक 3.2.2001 एवं सं0 3781/9-आ-भूकम्परोधी/2001/(आ0शा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, सेट के एक मानचित्र के पृष्ठ भागों पर चस्प की गयी है। जिसका अनुसरण करना होगा।

4-10-13

15. आवंटी द्वारा भारतीय विमान पत्तनम् एवं प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके सम्बंध में आवंटी को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ रवीकृत किया जाता है, कि ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण 15.00 मी० तक किया जा सकता है, अथवा छः महीने के अन्दर उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही 15.00 मी० से अधिक ऊँचाई का निर्माण किया जा सकेगा।
16. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।
17. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र [STRUCTURAL] प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
18. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-तृतीय के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण रवीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
19. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट-6 प्रपत्र-ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

सल्लेख:

1. आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (17 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (18 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट।
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप -ब।


(सजीव करयण)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी
दिनांक:

प्र० सं०-

/उक्त /

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-तृतीय, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र-ब की एक प्रति सल्लेख है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित कर ले कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा।
4. सहायक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध लखनऊ को शर्त सं०-04 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अधिम कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को प्रपत्र -ब सहित।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी